## सार-समाचार

### जेडीए द्वारा विभिन्न योजनाओं के भूखण्ड़ों की ई-नीलामी जारी

**जोधपुर ( कासं )** । जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त उत्साह चौधरी के निर्देशानुसार प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं के आवासीय एवं व्यावसायिक भूखण्ड़ों, मल्टीस्टोरी रहवासीय भूखण्ड़, योजनाओं के सुविधा क्षेत्रों इत्यादि की ई-नीलामी की जा रही है। दीपावली मेगा ई-ऑक्शन कार्यक्रम अन्तर्गत विवेक विहार आवासीय योजना के सेक्टर बी के भूखण्ड़ों की भव्य ई-नीलामी के क्रम में गुरूवार को 05 भूखण्ड़ों की नीलामी करते हुए विक्रय किया गया।

प्रभारी अधिकारी नीलामी शाखा संदीप सान्दू ने बताया कि शुक्रवार को विवेक विहार आवासीय योजना सेक्टर बी के भू.सं. 843, 938, 939, 913 व 914 एवं ग्राम बड़ली अरणा विहार योजना सेक्टर ए के भू.सं. 77, 83, 84, 96 एवं सेक्टर बी के भू.सं. 154 की नीलामी की जाएगी। गुरूवार को सेक्टर बी के भूखण्ड़ों की नीलामी में प्राधिकरण को 36,100/- प्रति वर्गमीटर की उच्चतम बोली दर प्राप्त हुई।

इसी प्रकार सोमवार, 28 अक्टूबर को विवेक विहार योजना सेक्टर सी के भू.सं. 377, 378, 305, 332 एवं सेक्टर डी के भू.सं. 578 की नीलामी की जाएगी। प्रभारी अधिकारी ने बताया कि उक्त भूखण्ड़ों हेतु नियमानुसार धरोहर राशि जमा करवाकर ऑनलाईन बोली लगाते हुए ई-नीलामी में भाग लिया जा सकता है। ई-नीलामी से संबंधित विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्तें जोधपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट joda.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती हैं।

### 34 सप्ताह के शिशु की एम्स जोधपुर में सफल रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी सर्जरी

**जोधपुर ( कासं )।** एम्स जोधपुर ने राजस्थान में पहली बार रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी (ROP) की सफल सर्जरी कर चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। नेत्र रोग विभाग ने 34 सप्ताह के शिशु की ROP स्टेज 4बी का उपचार करते हुए स्क्लेरल बकलिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यह स्थिति समय से पहले जन्म लेने वाले शिशुओं में होती है, जिसमें रेटिना पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता, और समय पर उपचार न मिलने पर रेटिना के अलगाव जैसी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है।

ROP बच्चों में अंधेपन का एक प्रमुख कारण है, जिसमें नियोवेस्कुलराइजेशन और अंततः रेटिना का अलगाव जैसी गंभीर जटिलताएँ हो सकती हैं। इन जटिलताओं से बचने के लिए समय पर जांच और उपचार आवश्यक होता है। एम्स जोधपुर के नेत्र रोग विभाग में प्रोफेसर डॉ. कविता आर. भटनागर के मार्गदर्शन में, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. मंजरी टंडन और उनकी टीम ने यह सफल सर्जरी की। यह प्रक्रिया समय से पहले जन्मे शिशु में की गई राजस्थान की पहली सर्जरी है, जिसे स्क्लेरल बकलिंग तकनीक द्वारा अंजाम दिया गया।

सर्जरी के दौरान शिशु की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एनेस्थीसिया टीम का नेतृत्व डॉ. अंकुर शर्मा ने किया। वर्तमान में शिशु की स्थिति स्थिर है और उसका नियमित फॉलो-अप किया जा रहा है। यह ऐतिहासिक सर्जरी एम्स जोधपुर की नवजात देखभाल और नेत्र स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, और इसने चिकित्सा के क्षेत्र में संस्थान की अग्रणी भूमिका को और मजबूत किया है।

बिजली कनेक्शन के लम्बित आवेदनों की समीक्षा

## समय पर कनेक्शन जारी करवाना अभियन्ताओं की जिम्मेदारी- चेयरमैन डिस्कॉम्स

**जयपुर ( कासं )।** चेयरमैन डिस्कॉम्स एवं जयपुर डिस्कॉम की प्रबन्ध निदेशक सुश्री आरती डोगरा ने जयपुर डिस्कॉम के फील्ड अभियन्ताओं को निर्देश प्रदान किए हैं कि नए कनेक्शन के लम्बित आवेदनों का निस्तारण कर उपभोक्ताओं को शीघ्र कनेक्शन जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि आवेदक को समय पर कनेक्षन जारी हो यह डिस्कॉम के फील्ड अभियन्ताओं की जिम्मेदारी है।

सुश्री डोगरा ने बुधवार को वीसी के माध्यम से 1 अप्रेल, 2024 से 22 अक्टूबर, 2024 तक प्राप्त हुए आवेदनों के लम्बित कनेक्षनों को लेकर जयपुर डिस्कॉम के अभियन्ताओं के साथ समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान न्यू कनेक्शन मैनेजमेन्ट सिस्टम के अनुसार घरेलू, अधरेलू व औद्योगिक श्रेणी के सर्वाधिक लम्बित कनेक्शन वाले सब-डिवीजन कार्यालयों में लम्बित बिजली कनेक्षनों की समीक्षा करते हुए सहायक अभियन्ता और सर्किल अधीक्षण अभियन्ताओं को कनेक्शन शीघ्र जारी करवाने के निर्देश दिए। सुश्री डोगरा ने कहा कि सभी श्रेणी के कनेक्शन समय पर जारी हो और आवेदन में मामूली कमियों की वजह से किसी आवेदन को रद्ध करने के स्थान पर आवेदक को सूचित कर आवेदन की कमियों की पूर्ति करवाकर कनेक्शन जारी करें। उन्होंने निर्देश दिए कि ई-मित्र के माध्यम प्राप्त होने वाले ऑनलाइन आवेदनों में मोबाईल नम्बर गलत फीड होने या दूसरे सब-डिवीजन में आवेदन करने पर आवेदन को रद्ध करने के स्थान पर सही सब-डिवीजन में भिजवाना सुनिश्चित करें। डिमाण्ड नोट की राशि जमा कराने के प्रकरणों में यह सुनिश्चित करें कि आवेदक को डिमाण्ड नोट की सूचना समय पर मिली या नही।

डिमाण्ड नोट जारी होने के बाद निर्धारित समयावधि में आवेदक राशि जमा नही कराता है तो यह सत्यापित करें कि कहीं बिजली का दुरुपयोग तो नही हो रहा है। चेयरमैन डिस्कॉम्स ने निर्देश दिए कि कनेक्शन के जिन प्रकरणों में अधिशासी अभियन्ता अथवा अधीक्षण अभियन्ता की स्वीकृति आवश्यक है ऐसे कनेक्षनों की फाईल को सहायक अभियन्ता द्वारा राजकाज से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कनेक्षनों के लिए आवश्यक मैटेरियल की पर्याप्त उपलब्धता के लिए एमएम विंग के साथ समन्वय रखें ताकि मैटेरियल की वजह से कनेक्शन जारी करने में देरी नही हो।

नशीली दवाओं की लत एवं मादक द्रव्यों के सेवन से रोकथाम पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन

## युवा नशे से दूर रहकर विकसित भारत का निर्माण करें : पद्मभूषण डॉ. नारायणसिंह भाटी

**जोधपुर ( कासं )।** युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के मेरा युवा भारत एवं नेहरू युवा केंद्र संगठन के तत्वाधान में सुचेता कृपलानी महाविद्यालय, माणकलाव में एक दिवसीय नशीली दवाओं की लत एवं मादक द्रव्यों के सेवन से रोकथाम पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्षीय संबोधन प्रस्तुत करते हुए पद्मभूषण डॉक्टर नारायण सिंह भाटी ने कहा कि युवा नशे में डूब रहे हैं जो चिंताजनक है। युवा पीढ़ी को अपने परिवेश में आने वाले लोगों को इस नशे के दलदल से बाहर निकलने में मदद करनी चाहिए। इस प्रकार युवा पीढ़ी समाज को एक नई दिशा देकर विकसित भारत के निर्माण की नींव रख सकती है।

जिला युवा अधिकारी राजेश चौधरी ने युवाओं को मेरा युवा भारत पोर्टल की जानकारी प्रदान करते हुए माई भारत द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉ. अजयवर्धन आचार्य, अतिरिक्त क्षेत्रीय निदेशक इग्नू ने युवाओं से नशे की लत को छोड़कर राष्ट्र के नवनिर्माण हेतु आगे आने का आह्वान किया। अफीम मुक्ति केंद्र, माणकलाव के डॉ. नरेंद्र सिंह ने युवाओं को विभिन्न प्रकार के नशे एवं उनके दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि आचार एवं विचार शुद्ध रखकर युवा समाज को इस कुरीति से बचाकर आगे ले जाएं। महाविद्यालय के प्राचार्य राजेंद्र सिंह कुमावत ने कहा कि सकारात्मक सोच एवं व्यवहार से युवा नशावृत्ति की प्रवृत्ति से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। युवाओं को नशामुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम भी किया गया। कार्यक्रम में श्रीमती ऊषा, पीटीआई प्रेमसिंह सहित विभिन्न युवा उपस्थित रहे।

## जोधपुर आ रही फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी

### 45 मिनट तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे यात्री; जांच में नहीं मिला कोई विस्फोटक

**जोधपुर ( कासं )।** पुणे से जोधपुर आ रही इंडिगो की फ्लाइट को E-Mail के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। फ्लाइट की जोधपुर में लैंडिंग करवाई गई। जांच एजेंसियों ने 45 मिनट विमान की चेकिंग कर इसे दिल्ली के लिए रवाना किया। इससे पहले 20 अक्टूबर को भी इसी फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पुणे से जोधपुर आ रही इंडिगो की 6ई133 को उड़ाने की धमकी की सूचना एयरपोर्ट थाने को दी थी। इसके बाद पुलिस, CISF के अधिकारी, डॉग स्क्वॉयड और बम निरोधी दस्ता पहुंचा। फ्लाइट में बम की सूचना के बाद CISF के जवान जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। उन्होंने पैसेंजर्स के सामान की तलाशी ली, साथ ही पूरी फ्लाइट को खंगाला।

**फ्लाइट की सेफ लैंडिंग करवाई :** डीसीपी ईस्ट आलोक श्रीवास्तव ने बताया-फ्लाइट पुणे से सुबह 11.50 बजे पर रवाना हुई थी। धमकी मिलने के बाद 1 बजकर 19 मिनट पर फ्लाइट की सेफ लैंडिंग करवाई गई थी। इसके बाद पैसेंजर के सामान की तलाशी ली गई, इसमें कोई विस्फोटक सामान नहीं मिला है। जांच के बाद फ्लाइट को 2.05 बजे दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया।

**4 दिन पहले भी इसी फ्लाइट को मिली थी धमकी:** 20 अक्टूबर को भी इसी फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली थी। फ्लाइट में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। इसकी सूचना मिलने के बाद ही फ्लाइट को आइसोलेशन वे में लैंड करवाया गया। यात्रियों के सामान की भी तलाशी ली गई थी।

इससे पहले किशनगढ़ एयरपोर्ट पर 19 अक्टूबर को स्टार एयरलाइंस के विमान में बम की सूचना मिली थी। बम निरोधक दस्ते की ओर से सिक्योरिटी क्लीयरेंस देने के बाद विमान को आगे रवाना किया गया था।

**आईटी मिनिस्ट्री की वर्चुअल मीटिंग:** ऐसी धमकियों को लेकर 23 अक्टूबर को IT मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, मेटा और एयरलाइन कंपनियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से पूछा था कि, इन खतरनाक अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए आपने क्या किया है। ये जो हालात हैं, उनसे जाहिर होता है कि आप जुर्म को बढ़ावा दे रहे हैं।

## जेडीए दस्ते ने ग्राम आंगणवा में रास्ते की भूमि से हटाए अतिक्रमण

**जोधपुर ( कासं )।** जोधपुर विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा आयुक्त उत्साह चौधरी के निर्देशानुसार जोनवार नियमित रूप से अवैध निर्माणों एवं अतिक्रमणों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। जेडीए दस्ते द्वारा गुरूवार को ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 94 व 94/1 में रास्ते की भूमि पर किए गए अनाधिकृत अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया।

प्राधिकरण सचिव भागीरथ विश्नोई के आदेशानुसार मुख्य नियंत्रक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनिता एवं तहसीलदार जोन प्रतिज्ञा सोनी के निर्देशन में जेडीए दस्ते द्वारा ग्राम आंगणवा के ख.सं. 94 व 94/1 के मौका निरीक्षण के दौरान गैर मुमकिन लगभग 650 मीटर लम्बे रास्ते की भूमि पर कच्ची-पक्की दीवारें, फाचरों की दीवारें, मिट्टी की धोरापाली, कांटो की बाड़, पत्थर की छीणें, लोहे के कांटेदार तारबन्दी इत्यादि अनाधिकृत अतिक्रमण पाये गये। दस्ते द्वारा दो जेसीबी की सहायता से उक्त अतिक्रमणों को ध्वस्त कर गैर मुमकिन रास्ते की भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया।

प्राधिकरण उपायुक्त जोन 04 अदिति पुरोहित के आदेशानुसार उम्मेद सागर बांध के अतिक्रमियों के गैर रहवास को चिन्हित करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी की टीम का गठन किया गया। उपायुक्त अदिति पुरोहित द्वारा गठित टीम द्वारा उम्मेद सागर बांध का मौका निरीक्षण करते हुए पक्के निर्माण यथा चारदीवारी एवं मकान जिनमें रहवास नहीं, कच्चे निर्माण जिनमें रहवास नहीं, कच्चे व पक्के निर्माण जिनमें रहवास है, को सूचीबद्ध कर अतिक्रमणों का चिन्हितकरण किया जा रहा है तदोपरान्त उक्त अतिक्रमणों पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। इसी प्रकार दस्ते द्वारा ग्राम चौखा ख.सं. 72, रामराज नगर के पीछे प्राधिकरण की भूमि पर अनाधिकृत रूप से किए गए अतिक्रमणों को भी चिन्हित किया गया। कार्यवाहियों के दौरान प्रवर्तन अधिकारी प्रवीण गहलोत, भू-अभिलेख निरीक्षण शैतानसिंह, प्रवर्तन निरीक्षक अनिल शर्मा, पटवारी दुर्गा महला, राजस्व पटवारी ग्राम आंगणवा, पुलिस थाना मण्डोर का जाब्ता मय जेडीए दस्ते मौजूद रहा।

TATA

**टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

**रजि. कार्यालय:** 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013
**शाखा कार्यालय:** दूसरी मंजिल, गुमान-प्रथम, आम्रपाली सर्कल, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान) - 302021

**अचल संपत्ति की बिक्री हेतु सूचना**
(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के साथ नियम 9(1) के अंतर्गत)

**वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के साथ पठित**

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से नीचे दिए गए उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता, या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों / प्रतिनिधियों (उधारकर्ताओं) को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के पास बंधक रखी गई नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका कब्जा टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता और सह-उधारकर्ताओं से बकाया राशि की वसूली के लिए 'जहां है जैसा है' और 'जो कुछ भी है' और 'बिना किसी सहारे के आधार पर' 11-11-2024 को बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि नीचे उल्लिखित है। इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि, बिक्री में किसी भी स्थगन/विराम की अनुपस्थिति में, उक्त सुरक्षित परिसंपत्ति/संपत्ति को उक्त 11-11-2024 को **दोपहर 02:00** बजे ई-नीलामी द्वारा बेचा जाएगा। ई-नीलामी में भाग लेने के लिए ईएमडी का डिमांड ड्राफ्ट युक्त सीलबंद लिफाफा टीसीएचएफएल के अधिकृत अधिकारी को 09-11-2024 को **शाम 5.00** बजे तक शाखा पते 'टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, द्वितीय मंजिल, गुमान-1, आम्रपाली सर्कल, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान) - 302021 पर जमा किया जाना चाहिए।
सुरक्षित परिसंपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसी है, जहां है' के आधार पर नीचे वर्णित संक्षिप्त विवरण के अनुसार होगी:

| अनु. सं. | ऋण खाता संख्या | उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता, कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि/गारंटर का नाम | डिमांड नोटिस के अनुसार राशि | आरक्षित मूल्य | बयाना राशि | कब्जे का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TCHHF03660 00100088808 & TCHHL03660 00100086866 | **श्री पप्पू नाथ,** पुत्र श्री मेहराम नाथ, श्रीमती कमला देवी, पत्नी श्री पप्पू नाथ | रु. 11,20,963/- (ग्यारह लाख बीस हजार नौ सौ तिरसठ रुपये मात्र) ऋण खाता संख्या TCHHF0366000100088808 के तहत के अंतर्गत आपके द्वारा देय है और रु. **27,91,124/-** (सताईस लाख इकरानवे हजार एक सौ चौबीस रुपये मात्र) ऋण खाता संख्या TCHHL0366000100086866 के अंतर्गत आपके द्वारा देय है, अर्थात कुल रुपये 39,12,087/- (उनतीस लाख बारह हजार अस्सी मात्र) 30-12-2022 | रु. 29,90,000/- (रुपये उनतीस लाख नब्बे हजार मात्र) | रु. 2,99,000/- (रुपये दो लाख निन्यानबे हजार मात्र) | भौतिक |

**अचल परिसपत्ति का विवरण :** आवासीय सम्पत्ति के सभी टुकड़े और पार्सल, प्लॉट संख्या 269, माप क्षेत्र 125 वर्ग गज यानी 1125 वर्ग फीट (25' × 45') का माप, खसरा संख्या 56 में शामिल, स्थित है नांदरी गांव, जोधपुर - 342027 (राजस्थान), बिक्री विलेख में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के साथ। **सीमाएं: उत्तर** - दूसरों की संपत्ति; **दक्षिण-** सड़क 25'; **पूर्व-** प्लॉट संख्या 268; **पश्चिम-** प्लॉट संख्या 270

नीलामी में आम जनता को व्यक्ति गत रूप से अपनी बोलियां प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऋणी/सह-ऋणी को इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से **15 दिनों** के भीतर कुल बकाया राशि ब्याज सहित चुकाने का अंतिम अवसर दिया जाता है, अन्यथा अचल संपत्ति निर्धारित समय के अनुसार बेच दी जाएगी। ई-नीलामी रोक दी जाएगी यदि पूर्वोक्त देय राशि ब्याज और लागतों सहित (बिक्री की लागत सहित) प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत कर दी जाती है या उसकी संतुष्टि के लिए यह प्रमाण दे दिया जाता है कि ऐसे सुरक्षित ऋण, ब्याज और लागतों की राशि नीलामी की तारीख से पहले चुका दी गई है।
तथापि, इस बिक्री के संबंध में कोई कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बेची गई अचल संपत्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा, उसे अर्जित नहीं करेगा या कोई हित अर्जित करने का प्रयास नहीं करेगा।
बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी:

**नोट: संपत्तियों की ई-नीलामी 11-11-2024 को अपराह्न 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच पोर्टल http://bankauctions.in/ के माध्यम से 5 मिनट के सीमित विस्तार के साथ होगी।**

**नियम एवं शर्तें: (1)** नीचे दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण नीचे हस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताए गए हैं, लेकिन नीचे हस्ताक्षरकर्ता इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। बोली की राशि या बोली लगाने वाले के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, अचल संपत्ति को प्राधिकृत अधिकारी के विवेक के अधीन पुनः नीलामी के लिए रखा जाएगा। (2) अचल संपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा। (3) बोली वृद्धि राशि होगी: रु. 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र)। (4) संपत्ति की खरीद के लिए प्रस्तुत सभी बोलियों के साथ ऊपर उल्लिखित बयाना राशि, 'टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में संलग्न होगी, जो शाखा के पते पर देय होगी। नीलामी के बाद असफल बोलीदाताओं को डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जाएंगे। NEFT/RTGS/IMPS के माध्यम से EMD के भुगतान के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। (5) उच्चतम बोली लगाने वाले को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा बशर्ते कि वह बोली लगाने के लिए कानूनी रूप से योग्य हो तथा यह भी बशर्ते कि बोली की राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। जब प्रस्तावित मूल्य इतना अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करना अवांछनीय हो, तो उच्चतम बोली को अस्वीकार करना प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर निर्भर होगा। (6) दर्ज कारणों से बिक्री को स्थगित/बंद करना प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर निर्भर होगा। (7) अचल संपत्ति का निरीक्षण पूर्व नियुक्ति के साथ **28-10-2024 को सुबह 11:00 बजे से शाम 05:00 बजे** के बीच किया जा सकता है। (8) सफल बोलीदाता के रूप में घोषित व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि/बोली की राशि का पच्चीस प्रतिशत, जिसमें ईएमडी राशि भी शामिल होगी, 24 घंटे के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा कराना होगा और ऐसी जमा राशि जमा न कराने की स्थिति में संपत्ति को तुरंत निजी संधि द्वारा नई नीलामी/बिक्री के लिए रखा जाएगा। (9) यदि प्रारंभिक जमा उपर्युक्त अनुसार किया जाता है, तो देय क्रय राशि की शेष राशि क्रेता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संपत्ति की बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15वें दिन या उससे पूर्व, ऐसे दिन को छोड़कर, या यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश हो, तो 15वें दिन के पश्चात् पहले कार्यालय दिवस को भुगतान की जाएगी। (10) उपर्युक्त अवधि के भीतर किसी भी भुगतान में चूक की स्थिति में, संपत्ति को निजी संधि द्वारा नए सिरे से नीलामी/बिक्री के लिए रखा जाएगा। ईएमडी सहित जमा राशि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता संपत्ति पर सभी दावे खो देगा। (11) टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को ज्ञात किसी भी भार का विवरण, जिसके लिए संपत्ति उत्तरदायी है: उपरोक्त तालिका के अनुसार। दावे, यदि कोई हों, जो संपत्ति के लिए आगे रखे गए हैं और इसकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण: उपरोक्त तालिका के अनुसार। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे संपत्ति पर बकाया वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर, बिजली आदि के संबंध में स्वतंत्र जांच स्वयं करें। (12) किसी भी अन्य विवरण या ई-नीलामी पर प्रक्रिया ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता, मेसर्स से संपर्क कर सकते हैं। **मैसर्स 4क्लोजर,** ब्लॉक नं. 605 ए, 6वीं मंजिल, मैत्रिवनम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अमीरपेट, हैदराबाद- 500038 इसके समन्वयकों कर्नाटक और गोवा, मोबाइल नं. 8142000809, srinivas@bankauctions.in और तेलंगाना और एपी मोबाइल नं. 8142000064, prakash@bankauctions.in और ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर राज्यों के मोबाइल नं. 814200030, pradhan@bankauctionsin और तमिलनाडु और केरल के मोबाइल नं. 8142000735, dinesh@bankauctions.in और दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, गुजरात, हरियाणा और उत्तर राज्यों के मोबाइल नं. 9515160064, prakash@bankauctionsin और महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के मोबाइल नं. 8142000725, Arijit@bankauctions.in और ईमेल: info @ bankauctions.in या **मनीष बंसल, ईमेल आईडी Manish.Bansal@tatacapital.com अधिकृत अधिकारी मोबाइल नंबर 8588983696. कृपया अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर - 9999078669** पर भेजें। (13) उच्चतम घोषित बोली राशि पर 1% का टीडीएस लागू होगा और उच्चतम बोलीदाता द्वारा देय होगा। उच्चतम बोली लगाने वाले को भुगतान मालिक/उधारकर्ता(ओं) के पैन में जमा करना होगा तथा चालान की प्रति हमारी कंपनी को प्रस्तुत करनी होगी। (14) कृपया उपरोक्त विवरण के लिए सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट http://surl.li/rchvkq पर दिए गए नीचे दिए गए लिंक को देखें। (15) कृपया इस लिंक पर भी जाएँ: **https://www.tatacapital.com/property-disposal.html.**

**कृपया ध्यान दें :** टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी भी ब्रोकर/एजेंट को नियुक्त नहीं किया है। इच्छुक पक्षों को इस मामले में सभी प्रश्नों और पूछताछ के लिए केवल नीचे हस्ताक्षरकर्ता या अधिकृत अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।

स्थान : राजस्थान
दिनांक : 25-10-2024

हस्ताक्षर / -
प्राधिकृत अधिकारी
टाटा कैपिटल हाउसिंग फायनांस लिमिटेड

## भगत की कोठी-मन्नारगुड़ी सुरफास्ट, पुणे के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन आज से, ओखा-भगत की कोठी स्पेशल रद्द

**जोधपुर ( कासं )।** फेस्टिवल सीजन में ट्रेनों में पैसेंजर बढ़ने से रेलवे नई स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है । जोधपुर से भगत की कोठी-मन्नारगुड़ी सुरफास्ट ट्रेन को संचालन शुरू होगा। वहीं जोधपुर से जयपुर के रास्ते कोटा होते हुए पुणे जाने वाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन आज 25 अक्टूबर से शुरु होगी। इधर रेलवे भगत की कोठी से ओखा के लिए एक स्पेशल ट्रेन शुरु करने जा रहा था लेकिर इस रुट पर पैसेंजर कम होने से ट्रेन का संचालन रद्द कर दिया गया।

**4.30 पर जोधपुर से होगी रवाना:** टर्मिनल स्टेशन में परिवर्तन के कारण भगत की कोठी-मन्नारगुड़ी सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन गुरुवार से जोधपुर रेलवे स्टेशन से किया गया। जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा के अनुसार ट्रेन 22673,भगत की कोठी-मन्नारगुड़ी सुपरफास्ट साप्ताहिक के टर्मिनल स्टेशन में अस्थाई परिवर्तन किया गया है। जोधपुर रेलवे स्टेशन से अपने पूर्व निर्धारित समय दोपहर 4.30 बजे प्रस्थान करेगी।

**पुणे के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन आज से:** रेलवे द्वारा दीपावली और छठ पूजा पर ट्रेनों में यात्रियों के अतिरिक्त यातायात को देखते हुए यात्री सुविधा के लिए शुक्रवार से जोधपुर से जयपुर-कोटा के रास्ते पुणे के लिए फेस्टिवल वीकली स्पेशल ट्रेन का संचालन प्रारंभ किया जा रहा है। डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेल प्रशासन द्वारा त्योहार पर यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए जोधपुर से जयपुर-कोटा-रतलाम के रास्ते पुणे के बीच फेस्टिवल वीकली स्पेशल (4 ट्रिप)का संचालन प्रारंभ किया जा रहा है ट्रेन 25 अक्टूबर से जोधपुर से प्रस्थान करेगी।

उन्होंने बताया कि ट्रेन 04807,जोधपुर-पुणे फेस्टिवल स्पेशल जोधपुर से 25 अक्टूबर से 11 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 4.30 बजे जोधपुर से प्रस्थान कर अगले दिन रात्रि 11.10 बजे पुणे पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन 04808,पुणे-जोधपुर फेस्टिवल स्पेशल 27 अक्टूबर से 17 नवंबर तक प्रत्येक रविवार रात्रि 12.30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 4.50 बजे जोधपुर पहुंचेगी। ट्रेन में यात्री सुविधा के लिए 1 सेकेंड एसी,4 थर्ड एसी,10 स्लीपर,4 जनरल और दो गार्ड एसएलआर सहित 21 डिब्बे होंगे।

**इन स्टेशनों पर होगा ठहराव:** सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा के अनुसार जोधपुर-पुणे-जोधपुर फेस्टिवल वीकली स्पेशल ट्रेन आवागमन में मेड़ता रोड,डेगाना,मकराना, कुचामन सिटी,नावा सिटी,फुलेरा,जयपुर, दुर्गापुरा, सवाई माधोपुर, कोटा,भवानी मंडी, रतलाम, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी, पालघर, वसई रोड,पनवेल,लोनावाला चिंचवड़ स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

**कम यात्री भार के कारण भगत की कोठी -ओखा स्पेशल रद्द:** रेलवे द्वारा कम यात्री भार को देखते हुए भगत की कोठी (जोधपुर) -ओखा-भगत की कोठी (जोधपुर) स्पेशल रेलसेवा का संचालन रद्द किया जा रहा है।

गाडी संख्या 04805/04806, भगत की कोठी (जोधपुर) -ओखा-भगत की कोठी (जोधपुर) स्पेशल ट्रेन, को भगत की कोठी से दिनांक 26.10.24 से 16.11.24 तक (04 ट्रिप) एवं ओखा से दिनांक 27.10.24 से 17.11.24 तक (04 ट्रिप) संचालन रद्द किया जा रहा है।